

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुझुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 203/2021

निर्णय दिनांक :- 01-12-21

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
कैम्प कोठला पं.स. बुहाना

उनवानी

दीपचंद पुत्र नन्दलाल नार, रूहनिपं

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना।

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणात्मक

:-निर्णय:-

वादीगण की ओर से रूपे की एवं प्रतिवादी सं. की ओर से तहसीलदार बुहाना की उपस्थिति में आज तारीख 01-12-21 को सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" ग्राम रूहनिपं लिमिटेड ग्राम स्वारा में
प्लॉट नं. 46 में लिमिटेड पुत्र नन्दलाल के द्वारा
पर दीपचंद पुत्र नन्दलाल द्वारा
जिसे उनके ऊपर आदेश दिए जा रहे हैं। तहसीलदार
बुहाना के आदेशों द्वारा ग्राहकों से उभरा हुआ
शान्ति रिकॉर्ड में अमल द्वारा दिए जा रहे
के आदेश दिए जा रहे हैं। "



खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय, आज दिनांक 01-12-21 को प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोठला के मजमे आम में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बुहाना जिला-झुझुनू (राज.)

